झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरुवार,दिनांक- 27 फाल्गुन, 1942 (श0) / 18 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
222.	अ0सू0-32	श्री बंधु तिर्की	परियोजना रद्द करना।	ऊर्जा	02.03.21
223.	अ0सू0-43	श्री राज सिन्हा	पदस्थापित/मनोनित करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	04.03.21
224.	अ0सू0-60	श्री डुलू महतो	कस्टमाइज हियरिंग सेंटर की स्थापना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	12.03.21
225.	अ0सू0-54	श्री नारायण दास	कैरियर बिल्डिंग की व्यवस्था।	अनु0जा0अनु0जन0 जा0अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	11.03.21
226.	अ0सू0-53	श्रीमती पुष्पा देवी	सिंचाई सुविधा मुहैया कराना।	जल संसाधन	11.03.21
227.	अ0सू0-46	श्री सुदेश कुमार महतो	दोषियों पर कार्रवाई।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	08.03.21
228.	अ0सू0-45	श्रीमती ममता देवी	भुगतान कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.21
229.	अ0सू0-48	श्री बसंत सोरेन	टु जी से फोर जी करना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	08.03.21
230.	अ0सू0-31	श्री बंधु तिर्की	प्रसंस्करण इकाई चालू करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
*231.	अ0सू0-27	श्री प्रदीप यादव	योजना का लाभ देना।	अनु0जा0अनु0जन0 जा0अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21
232.	अ0सू0-57	श्री वैद्यनाथ राम	निबंधन कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	12.03.21
233.	अ0सू0-44	श्री मनीष जायसवाल	भुगतान करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.21

* अनु० जन जाति अनु० जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक 675 दि० 9/3/21 द्वारा परिवहन विभाग को स्थानांतरित।

कृ0पृ0उ0/-

01	02	03	04	05	06
234.	अ0सू0-38	डॉ0 लम्बोदर महतो	कार्य प्रारंभ करना।	जल संसाधन	02.03.21
235.	अ0सू0-59	श्री संजीव सरदार	राशि भुगतान कराना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	12.03.21
236.	अ0सू0-49	श्री नवीन जायसवाल	पदोन्नति देना।	ऊर्जा	08.03.21
237.	अ0सू0-51	श्री सुदिव्य कुमार	विद्यालय खोलना।	अनु0जा0अनु0जन0 जा0अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	10.03.21
238.	अ0सू0-35	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	आवंटन देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.21
239.	अ0सू0-58	श्री नवीन जायसवाल	कर्मियों को पुनः बहाल करना।	ऊर्जा	12.03.21
240.	अ0सू0-56	श्री समरी लाल	प्रोन्नति देना।	जल संसाधन	12.03.21
241.	अ0सू0-52	श्री दुल्लू महतो	गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	11.03.21
242.	अ0सू0-55	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	समस्याओं को दूर करना।	ऊर्जा	11.03.21
243.	अ0सू0-47	श्री बसंत सोरेन	ई0 पॉश मशीन का क्रय।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	08.03.21
244.	अ0सू0-42	श्री अमर कुमार बाउरी	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.21
245.	अ0सू0-20	श्री भानु प्रताप शाही	दोषियों पर कार्रवाई।	जल संसाधन	28.02.21
* 246.	अ0सू0-50	श्री सुदिव्य कुमार	चकबंदी एवं सिंचाई की व्यवस्था।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	10.03.21
247.	अ0सू0-29	श्री प्रदीप यादव	योजना का लाभ देना।	अनु0जा0अनु0जन0 जा0अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21

रॉंची,
दिनांक- 18 मार्च,2021(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020......1314....../वि0स0,रॉंची,दिनांकः-...15/3/21

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

* कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक-571 दि० 16/3/21 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–(प्रश्न)–05/2020.....1314.....वि0स0,राँची,दिनांकः–15/3/21

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान–सभा, राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–(प्रश्न)–05/2020.....1314.....वि0स0,राँची,दिनांकः–15/3/21

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा,वेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा,आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

राजेन्द्र/–

15.03.21

222

श्री बन्धु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बन्धु तिर्की , मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि कोयल-कारो परियोजना के निर्माण से 256 गाँवों के 15000 परिवार में 1.5 लाख लोग विस्थापित हो जाएँगे, जिनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, उनका सांस्कृतिक विलोपन हो जाएगा तथा अनु०ज०जा० के 152 सरना स्थल और 300 सासनदिरी डूब जाएँगे;	अस्वीकारात्मक। कोयल-कारो परियोजना वर्ष 2005 में बंद की जा चुकी है। उक्त क्रम में राज्य सरकार द्वारा कोयल-कारो परियोजना में कार्यरत कर्मियों का समायोजन भी कर लिया गया है। वर्तमान में कोयल-कारो परियोजना परिचालन में नहीं है एवं कोयल-कारो परियोजना से संबंधित कोई भी योजना विभागीय स्तर पर प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि एन०एच०पी०सी० द्वारा किये एक लम्बे समझौते के तहत 7.92 रूपये प्रति यूनिट बिजली के लिए भुगतान करना होगा, जो अलाभकारी है, इस योजना के लिए प्रथमतः 926 करोड़ खर्च आँके गये थे, जिसमें आज 250 करोड़ (245. 56 करोड़ रूपये) खर्च हो चुका है, यह खर्च अत्यधिक है, यह योजना 20 वर्ष पूर्व लागू होती तो लाभकार होती, अब यह अलाभकारी है;	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महाविनाशकारी कोयल-कारो पनबिजली परियोजना को सदा के लिए रद्द करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 606 / दिनांक 12/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 14/3/21
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

223

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–43 का उत्तर

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बाल संरक्षण सोसाईटी से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के बाद से इसमें नियमित तौर पर अध्यक्ष और सदस्यों को पदस्थापित/मनोनीत नहीं किये जाने से बाल हित के विषयों पर कुप्रभाव पड़ रहा है ?	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पश्चात् अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का पदस्थापन/मनोनयन किया जाता रहा है। आयोग का कार्यकाल (20.04.2019) पूर्ण होने के बाद जो भी वाद आयोग को प्राप्त है, उनपर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। वादों का निष्पादन भी नियमानुसार किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड- 01 में वर्णित आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदस्थापित/मनोनीत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति/चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, पुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 84/2021–540 राँची, दिनांक : 12-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–952/वि०स०, दिनांक–04.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(224)

श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-60 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री दुलू महतो, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर, सहायक कृषि यंत्र योजना अन्तर्गत पूरे प्रदेश में मात्र 425 मिनी ट्रैक्टर एवं 165 पावर टीलर वितरण करने की योजना है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के लिए प्रखण्ड स्तर पर Customized Hiring Center की स्थापना से कृषि क्षेत्र में कृषकों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड स्तर पर Customized Hiring Center मील का पत्थर साबित होगा;	इससे किसानों को ससमय खेती करने में सुविधा के साथ-साथ उत्पादन लागत में कमी होगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के कृषकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रखण्ड स्तर पर Customized Hiring Center स्थापित करना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के अन्तर्गत 15 Customized Hiring Centre की स्थापना प्रस्तावित है एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में Custom Hiring Centre स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-18/2021 543 /कृ०, राँची, दिनांक- 17·03·2021

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-1296 दिनांक-12.03.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2021
(चाँद हेम्बरम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-18/2021 543 /कृ०, राँची, दिनांक- 17·03·2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

14/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Sikha/T

225

श्री नारायण दास, स० वि० स० से प्राप्त दिनांक– 18.03.2021 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०स्[०–54 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (एस०टी०) कोटि के 10(दस) छात्र–छात्राओं को विदेश में उच्च एवं विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त अनुसूचित जाति (एस० सी०) एवं पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) के छात्र–छात्राओं को उक्त अनुदान राशि से वंचित रखा गया है ;	विभागीय संकल्प संख्या – 2724, दिनांक– 28.12.2020 में उक्त योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को आच्छादित करने का प्रावधान नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति (एस० सी०) एवं पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) के छात्र–छात्राएं भी अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की भाँति अभी भी अत्यन्त गरीब परिवार से ताल्लुक रखते है, जिसे उक्त अनुदान राशि की आवश्यकता है ;	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अंतर्गत छात्र–छात्राओं का गरीब परिवार से ताल्लुक हो सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की भाँति अनुसूचित जाति (एस०सी०) एवं पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) छात्र–छात्राओं के लिए भी कैरियर बिल्डिंग (Career Building) हेतु विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त अनुदानित राशि का प्रावधान का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संकल्प संख्या–2724, दिनांक–28.12.2020 द्वारा घोषित नीति अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को आच्छादित करने का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(अ०सू०)–04/2021 800 रांची, दिनांक– 17/3/21

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1218 दिनांक– 11.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/21

(नग नारायण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-53 के संबंध में उत्तर प्रतिवेदन। 276

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत छत्तरपुर मे महत्वकांक्षी योजना सुखनदिया जलाशय सिंचाई योजना के तहत डैम एवं बांध का निर्माण वर्ष 1980 मे करोड़ो रूपये की लागत से दर्जनो गाँव के हजारो एकड़ भूमि की सिंचाई हेतु किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि डैम का सलुइस गेट दशकों से खराब पड़ा है जिससे डैम का पानी निरूद्येश्य बह जाता है एवं किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	वर्ष 2020-21 मे खरीफ मे 120 है0 एवं रबी मे 60 है0 सिंचाई दी गई। वर्ष 2020 मे किसानों द्वारा योजना से जल लेने के दौरान शीर्ष नियामक गेट (Head Regulator Gate) क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जल स्तर घट गया है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त जलाशय योजना के मरम्मति के नाम पर दशकों से करोड़ो की राशि संबद्ध संवेदक एवं विभागीय अधिकारी द्वारा बन्दरबांट किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जलाशय योजना का सरकारी राशि की बंदरबाट करने वाले संवेदक एवं अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए विशेष मरम्मति कर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	शीर्ष नियामक गेट (Head Regulator Gate) की मरम्मति कराकर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का सरकार विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0/10-अल्प0-10/11/2021 1666 राँची, दिनांक- 16/3/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

D:\Docs\My documents\2020-21\Vidhan Sabha\Feb 2021\6_A_10_11_21_Smt Puspa devi_53.docx

(227)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या—अ०सू०—46 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदेश कुमार महतो,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में इस बार रिकॉर्ड 60 लाख टन धान की पैदावार हुई है और सरकार ने 4.5 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा और इसके लिए 418 धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए;	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020—21 में राज्य भर में धान की अनुमानित उपज 49.26 लाख मे० टन है। सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम—2020—21 में 6.085 लाख मे० टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिए अबतक 455 धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि 182 रूपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ सामान्य धान के लिए 2050 रूपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2070 रूपये प्रति क्विंटल रेट किसानों को दिया जा रहा है;	खरीफ विपणन मौसम—2020—21 में 182 रूपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ सामान्य धान के लिए 2050 रूपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2070 रूपये प्रति क्विंटल का दर निर्धारित किया गया है एवं वर्तमान में उक्त दर के आधार पर ही किसानों को भुगतान किया जा रहा है।
(3) क्या यह बात सही है कि धान की खरीद 15 फरवरी तक होनी थी जबकि लक्ष्य के मुकाबले अब तक 58 फीसदी ही धान खरीदे जा सके है। जिन किसानों ने धान सरकारी एजेंसियों को बेचे, उनके पूरे पैसे का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है;	सरकार द्वारा धान का क्रय 31 मार्च, 2021 तक किया जाना है। खरीफ विपणन मौसम 2020—21 में सबसे पहले 4.5 लाख मे० टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था जिसे जिलों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाकर 5.495 लाख मे० टन कर दिया गया है। पुनः कई जिलों में शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के कारण लक्ष्य को पुनः निर्धारित करते हुए 6.085 लाख मे० टन कर दिया गया है। अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6.085 लाख मे० टन के विरूद्ध 64 प्रतिशत धान का क्रय किया जा चुका है। खरीफ विपणन मौसम 2020—21 में किसानों से धान क्रय के साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा अवशेष राशि अधिप्राप्त धान के मिल में पहुंचने के उपरान्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अब तक अधिप्राप्त कुल धान 3.87 लाख मे० टन के विरूद्ध भुगतेय राशि रूपये 794.04 करोड़ में से रूपये 244.54 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के पैसे का भुगतान करने तथा लक्ष्य की तुलना में कम धान खरीद पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य में धान अधिप्राप्ति की रफ्तार को देखते हुए खरीफ विपणन मौसम 2020—21 की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान की अधिप्राप्ति कर लेने की उम्मीद है।

16/03/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — खा०आ० 04 (वि०स०अ०सू०प्र०) 14/2021 903 /राँची, दिनांक 16/03/21

प्रतिलिपि — अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या—1084/वि०स०, दिनांक 08.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

(228)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–45 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती ममता देवी, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर गाय उपलब्ध कराने हेतु योजना मद से पहला किस्त का भुगतान किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के बी०पी०एल० महिलाओं को दुधारु गाय उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि में कुल 30732 बी०पी०एल० महिलाओं को दुधारु गाय क्रय के लिए योजना में निर्धारित प्रथम चरण के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराई गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना का द्वितीय किस्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में गाय क्रय हेतु कुल 16203 लाभुकों को अनुदान की राशि उपलब्ध कराई गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में संदर्भित योजनान्तर्गत सभी जिलों में वितरित गायों तथा अन्य परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन संबंधित उपायुक्त स्तर से करा लिए जाने तक उक्त योजना के तहत तत्काल गाय वितरण कार्य को स्थगित रखा गया है।
3	क्या यह बात सही है कि द्वितीय किस्त का भुगतान अभी तक नहीं कि जाने की वजह से राज्य के हजारों महिलाएँ बेरोजगार हो गई है;	अस्वीकारात्मक। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 तक प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण मिलाकर कुल 46935 गायों के क्रय हेतु अनुदान की राशि विमुक्त की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत अबतक कुल 33,897 गायों का वितरण किया गया है। इसके फलस्वरुप ग्रामीण महिलाओं के लिए दूध उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त धरेलू आमदनी सृजित कराकर उनका सामाजिक व आर्थिक (Socio-Economic) विकास सम्भव हो सका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर गाय उपलब्ध कराई जाने वाली योजना का द्वितीय किस्त का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में यथावर्णित।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:–5 बजट (1) 16/2021 प०पा० 315 राँची/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 943 दि0 04.03.2021 के प्रसंग में एवं अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021

(चन्द भूषण)
सरकार के अवर सचिव

(229)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 48 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बसंत सोरेन,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत् खाद्यान्नों का वितरण ई० पॉश मशीन द्वारा उपभोक्ताओं से अँगुठा लगवाकर दिया जाता है,	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि ई० पॉश मशीन का नेटवर्क 2G के कारण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने में काफी परेशानी होती है,	अस्वीकारात्मक। राज्य में उपयोग की जा रही ई–पॉस मशीन में केवल 2G सीम का ही उपयोग किया जा सकता है। ई–पॉस निविदा के निर्गमन के समय राज्य में 4G नेटवर्क प्रभावी नहीं था। विदित हो कि यह मॉडल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी जिसे दिनांक 07 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के माननीय खाद्य मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा के क्रम में मध्य प्रदेश का निविदा प्रारूप भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। उस प्रारूप में भी 4G सीम वाले ई–पॉस का उल्लेख नहीं था। 4G सीम का मोबाईल टॉवर से अधिकतम 1.4 किलोमीटर की दूरी तक ही Connectivity रहती है जबकि 2G सीम की Connectivity 4.5 किलोमीटर तक रहती है इस प्रकार 2G सीम में मोबाईल टॉवर दूर रहने पर भी ई–पॉस मशीन कार्य करता है एवं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों को खाद्यान्न वितरण ई–पॉस के माध्यम से संभव हो पाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ई० पॉश मशीन का नेटवर्क 2G से 4G करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा वर्तमान में पायलट बेसिस पर 10 (दस) जन वितरण प्रणाली दुकानों में 4G Wi-fi के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इससे Transaction में लगने वाली समय में कमी आयी है। हालांकि शहरी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में अभी में 4G नेटवर्क उतना प्रभावी नही है। भविष्य में में 4G नेटवर्क के प्रभावी होने तथा आवश्यकता के आलोक में विभाग द्वारा ई–पॉस मशीन का नेटवर्क 4G करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

17/03/2021
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०अ०सू०प्रश्न) 17/2021 913 /राँची, दिनांक 17/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1107 दिनांक 08.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-31 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता-श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ईटकी प्रखण्ड के तिलक सूती गाँव में स्थापित राज्य का एकमात्र बीज प्रसंस्करण इकाई उद्घाटन के 7 वर्षों के बाद भी चालू नहीं किया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। तिलकसूती स्थित बीज प्रसंस्करण इकाई चालू हालत में नेशनल फारमर्स क्लब को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि० को निविदा के माध्यम से संचालन हेतु दी गयी। उक्त समिति द्वारा बीज प्रसंस्करण इकाई के संचालन से संबंधित विषय को निबंधक, सहयोग समितियाँ के न्यायालय में चुनौती दी गयी। वर्त्तमान में उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि किसानों को बीज के प्रति आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् एन०वी०आई० मद से सरकार ने करोड़ों रूपये की लागत से बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करायी है इकाई में सभी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य की एकमात्र बीज संस्करण इकाई को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति कंडिका-1 में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(अ०सू०)-10/2021 518 /कृ०, राँची, दिनांक-16-03-2021

प्रतिलिपिः- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-706 दिनांक-28.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(अ०सू०)-10/2021 518 /कृ०, राँची, दिनांक-16-03-2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

सरकार के अवर सचिव।

12/D Drive/Vidhan Sabha/Question Answer/Ekta/7

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–18–03–2021 को श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–27 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्ता श्री प्रदीप यादव माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, 2020" लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, 2019" पर अनुमोदन हेतु वांछित प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष अग्रसारित की गई थी। इस योजना के तहत् प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी का भुगतान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संबंधित निगम के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव था। परिवहन विभाग द्वारा इस योजना पर किसी प्रकार के व्यय का वहन नहीं किया जाना था। दिनांक–25.07.2019 को योजना प्राधिकृत समिति द्वारा उक्त योजना को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को हस्तान्तरित कर दिये जाने का परामर्श दिया गया। उक्त परामर्श के अनुपालन में प्रस्तावित योजना का अभिलेख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अग्रसारित कर दी गई थी। कल्याण विभाग द्वारा भी विषयगत योजना हेतु बजट शीर्ष तथा बजट उपबंध नहीं रहने एवं कार्यपालिका नियमावली में इस तरह की योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रस्तावित "मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, 2019" से संबंधित अभिलेख पुनः परिवहन विभाग को वापस लौटा दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था हेतु एस०सी० एवं एस०टी० के लाभर्थियों को ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि समुचित प्रचार एवं प्रसार के अभाव में एवं उक्त वर्ग के लाभर्थियों को जानकारी के अभाव में यह योजना सिर्फ कागजी योजना बन गया है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार योजना का लाभ उपरोक्त दोनों वर्गों को मिले इसके लिए ठोस प्रयास करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2015 में वर्णित प्रावधानान्तर्गत "ग्रामीण बस सेवा" के तहत् राज्य में कुल 646 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित करते हुए अधिसूचित किया गया है। उक्त मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा के संचालन हेतु वर्तमान समय तक कुल 102 परमिट निर्गत किये जा चुके है। एस०सी० एवं एस०टी० वर्ग के लाभर्थियों को ग्रामीण मार्गों पर वाहन परिचालन हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से वाहन (बस) क्रय पर ब्याज सब्सिडी देने तथा "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना" को क्रियान्वित करने हेतु पुनः कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा।

Manoj 17/3/21

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–52/2021– 325 /राँची,दिनांक– 17.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–772, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–52/2021– 325 /राँची,दिनांक– 17.03.2021

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

232

श्री बैद्यनाथ राम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–57 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अपने राज्य में शादी की उम्र पुरुष के लिए 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष सुनिश्चित किया गया है ;	स्वीकारात्मक। विशेष विवाह अधिनियम की धारा–4 (सी) के अनुसार शादी की उम्र पुरुष के लिए 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष सुनिश्चित है।
2.	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उम्र 21 वर्ष सुनिश्चित किया गया है ;	राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी हेतु पात्रता निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत विवाह निबंधन प्रमाण पत्र सहित युवती का नाम झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विवाह के लिए निबंधन में 21 वर्ष से कम महिलाओं का निबंधन नहीं हो रहा है, जिससे योग्य जोड़ी सरकारी लाभ से वंचित रह जा रहे है ;	स्वीकारात्मक। विशेष विवाह अधिनियम की धारा–15 (डी) के अनुसार विवाह के निबंधन के समय पुरुष तथा महिला दोनों की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस विरोधाभास को समाप्त करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस प्रकार का कोई मामला सरकार के समक्ष सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 93/2021–579 राँची, दिनांक : 17/3/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1293/वि०स०, दिनांक–12.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(233)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 44 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मनीष जयसवाल,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरांव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में हजारीबाग जिला सहित राज्य के 21 जिलों से सरकार अबतक 72,200 मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से कर चुकी है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारित दर दो हजार प्रति क्विंटल की दर से तय की गई है और उसकी कुल राशि लगभग 144 करोड़ रूपये हो गई है,	खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में राज्य में कुल धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य 3 लाख मे०टन के विरूद्ध 3.79 लाख मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी। खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में राज्य के कुल निर्धारित लक्ष्य 6.085 लाख मे०टन के विरूद्ध अबतक 3.87 लाख मे०टन की अधिप्राप्त की गई है जिसका कुल मूल्य रूपये 794.04 करोड़ है। हजारीबाग जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य 1,00,000 मे० टन के विरूद्ध 90,128.90 मे० टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। जिसका कुल मूल्य रूपये 184 करोड़ रूपये है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में धान अधिप्राप्ति की नियमावली के अनुसार किसानों से धान क्रय करने के पश्चात् सरकार को एक सप्ताह में भुगतान जिला प्रबंधक द्वारा संबंधित किसानों के खाते में राशि ऑनलाईन ट्रांसफर करने का प्रावधान है,	खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में किसानों से धान क्रय के साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतन किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा अवशेष राशि अधिप्राप्त धान के मिल में पहुंचने के उपरान्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित जिलों के किसानों को अबतक राशि नहीं मिलने के कारण उनसे समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे हजारीबाग सहित राज्य के कुल 42 हजार किसान प्रभावित हो रहे है;	अबतक 67324 किसानों से अधिप्राप्त कुल धान 3.87 लाख मे०टन के विरूद्ध भुगतेय राशि रूपये 794.04 में से रूपये 244.54 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार द्वारा खण्ड–01 में वर्णित जिलों के किसानों से क्रय की गई धान के मूल्य की राशि का भुगतान तत्काल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसानों से क्रय किये गये धान के मूल्य की राशि का भुगतान नियमानुसार जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के द्वारा किया जा रहा है। प्रथम किस्त के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किसानों के बैंक खाते के माध्यम से किया जा रहा है एवं अवशेष राशि मिल में धान पहुंचने के उपरान्त किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

16/03/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०रा०अ०सू०प्रश्न) 19/2021 902 /राँची, दिनांक 16/03/21
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 318 (अनु०) , दिनांक 10.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

माननीय स०वि०स० डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ० सू० –38 का उत्तर प्रतिवेदन : 234

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड के गवई नदी पर चौड़ा जलाशय योजना प्रस्तावित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चौड़ा जलाशय योजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दी गई तथा प्रस्तावित जलाशय योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार को देना है, परन्तु राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देने के कारण उक्त योजना का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है, जिसके कारण हजारो किसानों को सिंचाई से वंचित होना पड रहा है;	अस्वीकारात्मक। चौड़ा जलाशय योजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण प्रस्तावित योजना का डी०पी०आर० तैयार नहीं कराया जा सका है। डी०पी०आर० तैयार होने के बाद ही तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चौड़ा जलाशय योजना का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चौड़ा जलाशय योजना का का डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य केंद्रीय जल आयोग को आवंटित है। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण सर्वेक्षण का कार्य रुका हुआ है। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद डी०पी०आर० तैयार कर लाभ लागत एवं बजट उपलब्धता के आलोक में योजना का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य से संबंधित आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1653 .... रॉंची, दिनांक–16/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–775, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

235

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० –59 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
श्री संजीव सरदार,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत प्रखण्ड पोटका, डुमरिया में किसानों द्वारा धान की बिक्री, धान क्रय केन्द्र में बिक्री के पश्चात् किसानों को राशि के लिए एक महीने से ज्यादा समय का इन्तजार करना पड़ता है;	खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में किसानों से धान क्रय के साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा अवशेष राशि अधिप्राप्त धान के मिल में पहुंचने के उपरान्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है। पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका प्रखण्ड में 468 किसानों से 41993.58 क्विंटल धान का क्रय किया गया है जिसके विरूद्ध रूपये 1,70,73,229/– का भुगतान किया गया है। उसी प्रकार डुमरिया प्रखण्ड में 437 किसानों से 30112.27 क्विंटल धान का क्रय किया गया है जिसके विरूद्ध राशि रूपये 1,40,39,096/– का भुगतान किया गया है। धान अधिप्राप्ति योजना Revolving Fund के माध्यम से संचालित होती है। जिला प्रबंधकों द्वारा किसानों से अधिप्राप्त धान के विरूद्ध मिलों के माध्यम से तैयार चावल को भारतीय खाद्य निगम में CMR के रूप में जमा किया जाता है। इस प्रकार जमा किये गये CMR के विपत्र को जिला प्रबंधकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को समर्पित करने के उपरांत भारतीय खाद्य निगम से राशि की मुक्ति की जाती है। पुनः इस राशि का उपयोग किसनों को धान अधिप्राप्ति भुगतान करने में किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।
(2) क्या यह बात सही है कि धान केन्द्र के पदाधिकारियों के मिलीभगत से बिचौलियों के सप्ताह भर में ही राशि का भुगतान कर दिया जाता है;	अस्वीकारात्मक। किसानों से क्रय की धान की राशि का भुगतान अधिप्राप्ति केन्द्र से प्राप्त रसीद एवं ऑनलाईन प्रविष्टि के आधार पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के द्वारा क्रमवार किया जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों की राशि अविलम्ब भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर को उपलब्ध कराई गई राशि रूपये 20,81,08,747/– में से किसानों को रूपये 19,88,22928/– का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें पोटका एवं डुमरिया प्रखण्ड के किसानों को अब तक रूपये 3,11,12,325/– का भुगतान किया गया है। पुनः दिनांक 16.03.2021 को झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमशेदपुर को 2 (दो) करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये है जिससे किसानों के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

17/03/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र० 04 (वि०स०प्र०सू०प्रश्न) 23/2021 911 /राँची, दिनांक 17/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1295, दिनांक 12.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

(236)

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–49 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम में सहायक विद्युत अभियंता (सामान्य) से विद्युत कार्यपालक अभियंता में पदोन्नति समय पूरा होने के बावजूद अभी तक प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है;	सहायक विद्युत अभियन्ता (सामान्य) से विद्युत कार्यपालक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस बीच झारखण्ड सरकार के पत्रांक-14का० 6752 दिनांक-24.12.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आलोक में मामले को लंबित रखा गया है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के पत्रांक संख्या-14का० 6752 दिनांक 24.12.2020 के आलोक में राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, बावजूद इसके महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या रा0स्था0-178/2017-163 दिनांक 27.01.2021 के आलोक में बहुत सारे पदाधिकारियों की प्रोन्नति दिया गया है;	इस संबंध मे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-526, दिनांक-12.03.2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है:- "महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक एवं अनुशंसा दि०-17.06.2020 को हुई थी, जिसपर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन दि०-13.07.2020 को प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार दि०-24.12.2020 के पूर्व ही प्रोन्नति संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोन्नति एवं पदस्थापन का आदेश एक साथ निर्गत करने का निदेश प्राप्त था, फलस्वरूप प्रोन्नति उपरान्त पदस्थापन हेतु विभागीय स्थापना समिति की बैठक दि०-24.09.2020 को आयोजित हुई एवं समिति की अनुशंसा पर दिनांक-23.01.2021 को माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ, तदोपरान्त दिनांक-27.01.2021 को अधिसूचना निर्गत की गई।"
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दूसरे विभाग की प्रोन्नति के तर्ज पर झारखण्ड बिजली वितरण निगम में सहायक विद्युत अभियंता (सामान्य) को विद्युत कार्यपालक अभियंता में पदोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के पत्रांक-14का० 6752 दिनांक-24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति प्रदान किये जाने पर लगायी गयी रोक के मामले में लिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अनुरूप निगम में सहायक विद्युत अभियन्ता की प्रोन्नति पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 655 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 25

237

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 51 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्र०स०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में अल्पसंख्यक छात्रों के निमित्त कहीं भी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं है ;	स्वीकारात्मक। PMJVK(M5DP) योजनान्तर्गत दुमका जिला में वित्तीय वर्ष 2016–17 में शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के ढाका में 315.40 लाख की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। उक्त विद्यालय अभी संचालित नहीं है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु मॉडल के रूप में गिरिडीह सहित पूरे राज्य में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में 05 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 600.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स०अल्प०प्र०–07/2021 782 राँची, दिनांक– 16/3/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1199 दिनांक–10.03.2021 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/2021

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

238

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-35 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में झारखण्ड राज्य के सभी प्रखण्डों में तालाब निर्माण की स्वीकृति कार्यान्वयन हेतु दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बंजर भूमि/राईस फेलो विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र तालाबों का मशीनों द्वारा जीर्णोद्धार/गहरीकरण, हेतु स्वीकृत्यादेश सं०-04 दिनांक-27.04.2018 निर्गत की गयी थी।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी तालाबों का निर्माण लाभुक द्वारा कराया गया था जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों का भुगतान अभी तक बाकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रासंगिक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 में कोषागार के द्वारा विपत्र पारित होने के उपरान्त तकनीकी (XML नहीं हो पाने) कारण राशि व्यपगत हो गयी।
3	क्या यह बात सही है कि पदाधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु राशि की माँग विभाग से किया गया है, परन्तु अभी तक आवंटन अप्राप्त है;	स्वीकारात्मक। व्यपगत राशि के भुगतान हेतु निदेशालय से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि आगणन हेतु प्रस्ताव योजना-सह-वित्त विभाग को भेजा गया था, परन्तु व्यपगत राशि के भुगतान हेतु बजट उपबंध प्राप्त नहीं हुआ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2018-19 के किये गये कार्यों का भुगतान हेतु आवंटन देना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में लम्बित भुगतान की राशि को सम्मिलित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-09/2021 475 /कृ०, राँची, दिनांक- 09-03-2021।

प्रतिलिपि:- श्री मौलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-707 दिनांक-26.02.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/2021

(चाँद हेम्ब्रम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ०वि०स०(अ०सू०)-09/2021 475 /कृ०, राँची, दिनांक- 09-03-2021।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री नवीन जायसवाल मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–58 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नवीन जायसवाल मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० मुख्यालय एवं कुसई में 11–12 वर्षों से लगभग 30 सफाई और अन्य कर्मी अनुबंध एवं दैनिक वेतन के रूप में कार्यरत थे परन्तु वर्तमान में उक्त सभी कार्यरत कर्मियों को बिना सूचना एवं मुआवजा दिये बगैर काम से हटाकर दूसरे नये कर्मियों की नियुक्ति की गई है;	अस्वीकारात्मक है। मार्च 2020 के पूर्व झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं अनुषंगी कंपनियों के निगम मुख्यालय, राँची परिसर की दिनानुदिन की साफ-सफाई एवं अन्यान्य कार्यों हेतु निगम के द्वारा 89 दिनों के लिए निर्धारित समयावधि के लिए मानव दिवस (दैनिक वेतन भोगी) की स्वीकृति के आलोक में मानव दिवस कर्मियों से कार्य लिया जाता रहा है। एतद् संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-3433, दिनांक–11.12.2013 के द्वारा निर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की कार्यवाही में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक-01.03.2020 के प्रभाव से झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं अनुषंगी कंपनियों के निगम मुख्यालय, राँची परिसर की दिनानुदिन की साफ-सफाई एवं अन्यान्य कार्यों हेतु निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। दैनिक वेतन भोगी के सेवा शर्तों के अनुसार इन्हें कोई मुआवजा आदि देय नहीं है। निगम द्वारा कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के विभागीय अधिसूचना संख्या-4871, दिनांक-20.06.2019 के आलोक में 10 वर्षों से लगातार सरकार के अधिनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित किया जाना है। साथ ही साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9(A), धारा 25(F)(a) धारा 25(F)(b) एवं धारा 32(2)(b) के तहत् समझौता वार्त्ता चलते रहने के दौरान कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्त में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाना परन्तु लगभग 30 अनुबंध एवं दैनिक कार्यरत कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया है?	राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या-4871, दिनांक-20.06.2019 से प्रासंगिक मामला अच्छादित नहीं होता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्षों से कार्यरत और वर्तमान में हटाये गये अनुबंध एवं दैनिक कर्मियों की सेवा पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक-......647...........   राँची/दिनांक-....17/3/21......

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 34

श्री समरी लाल, स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–56 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क०सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) का कुल स्वीकृत पद 846 है। पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–4377(S), दिनांक 01.09.2009 के आलोक में 846 का 10% पद अर्थात 85 पद AMIE /समकक्ष डिग्री कोटा के तहत् प्रोन्नति हेतु कर्णांकित है।</td><td>– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
– जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) का कुल स्वीकृत पद 846 है।
– पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–4377 (S), दिनांक 01.09.2009 द्वारा कुल स्वीकृत पद का 10% कोटा कार्यरत एवं सेवाकाल में AMIE (Associate Member of Institution of Engineers)/समकक्ष योग्यता प्राप्त करने वाले कनीय अभियंताओं को प्रोन्नति देकर भरने का प्रावधान था। जिसके तहत् विभाग अन्तर्गत 85 पद उक्त कोटा के तहत् प्रोन्नति हेतु कर्णांकित थे।
– पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.–2376 (S) दिनांक 12.04.16 द्वारा झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 2016 निर्गत होने के उपरान्त संकल्प संख्या–4377 (S), दिनांक 01.09.2009 अप्रभावी हो गया है। जिसके कारण AMIE (Associate Member of Institution of Engineers)/समकक्ष योग्यता प्राप्त करने वाले कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर अलग से प्रोन्नति प्रदान करने का प्रावधान अब नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग में वर्ष 2012 मे ही AMIE/समकक्ष डिग्री कोटे से अनुसूचित जाति के 09 पद एवं अनुसूचित जन जाति के 22 पद कनीय अभियंता (असैनिक) से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु कर्णांकित थे तथा वर्ष 2012 से ही अहर्त्ता एवं योग्यता पूरी करने के बावजूद AMIE/ समकक्ष डिग्री कोटे से एस.सी./एस.टी. कनीय अभियंताओं को प्रोन्नति अबतक नहीं दी गयी है, जिससे एस.सी./एस.टी. कनीय अभियंताओं (असैनिक) को वरीयता के साथ–साथ आर्थिक लाभ से भी वंचित होना पड़ा है जबकि वर्ष 2013 में पत्रांक–3547 दिनांक 29.06.2013 तथा पत्रांक–2449 दिनांक 30.04.2013 के द्वारा दी गयी प्रोन्नति में एस.सी./एस.टी. के आरक्षित</td><td>– झारखण्ड राज्य गठन के उपरान्त वर्ष 2004 में कैडर आवंटन होने के फलस्वरूप समेकित बिहार से नव गठित झारखण्ड राज्य के जल संसाधन विभाग, को AMIE (Associate Member of Institution of Engineers)/समकक्ष योग्यता प्राप्त करने वाले कनीय अभियंताओं से प्रोन्नत 72 सहायक अभियंताओं की सेवा प्राप्त हुई थी।
– संकल्प संख्या–4377 (S), दिनांक 01.09.2009 के आलोक में अनुमान्य 85 पदों का रोस्टर अनुमान्यता निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th></th><th>कुल</th><th>अनारक्षित</th><th>अनु. ज. जाति</th><th>अनु. जाति</th></tr>
<tr><td>कुल पदों की आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता</td><td>85</td><td>54</td><td>22</td><td>09</td></tr>
</table>
– यह सही है कि रोस्टर अनुमान्यता के अनुसार अनुसूचित जन–जाति के 22 पद एवं अनुसूचित जाति के 09 पद प्रोन्नति हेतु कर्णांकित थे। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–4377 (S), दिनांक 01.09.2009 के आलोक में वर्ष 2012 में एस.सी./एस.टी. कोटि के ऐसे कोई भी कनीय अभियंता प्रोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं थे और न ही कालान्तर में ऐसे किसी योग्यताधारी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया जिन्होंने सेवाकाल में AMIE (Associate Member of Institution of Engineers)/समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो। जिसके</td></tr>
</table>

	पद रिक्त रहने के बावजूद अहर्ता एवं योग्यता रखने वाले कनीय अभियंताओं को पदोन्नति नहीं दी गयी है।	कारण एस.सी./एस.टी. कोटि के किसी भी कनीय अभियंता को प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। – वर्ष 2013 में पत्रांक–3547 दिनांक 29.06.2013 द्वारा कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी गई है बल्कि चालू प्रभार के रूप में अपने ही वेतनमान् में सहायक अभियंता का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। – पत्रांक–2449 दिनांक 30.04.2013 के द्वारा दी गयी प्रोन्नति में रोस्टर अनुभान्यता का पूर्णतः पालन किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति अन्तर्गत उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अधिसूचना के क्रमांक–71 से 81 पर उल्लेखित अनुसूचित जाति कोटि के कनीय अभियंताओं को एवं क्रमांक–82 से 84 पर उल्लेखित प्रोन्नति हेतु उपलब्ध अनुसूचित जन–जाति कोटि के कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार एस.सी./एस.टी. कोटा के रिक्त सहायक अभियंता के पद पर एस.सी./एस.टी. के कनीय अभियंताओं को पदोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यो ?	– उपर्युक्त खण्डो का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। – विभागान्तर्गत कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति कोटि के अभियंताओं को आरक्षण एवं तद्नुसार उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जाती रही है। वर्ष 2018 में निर्गत अधिसूचना सं.–4825–4933 दिनांक 20.11.2018 एवं वर्ष 2020 में निर्गत अधिसूचना सं.–1865–1892 दिनांक 06.03.2020 द्वारा दी गई प्रोन्नति में भी आरक्षित पदों के विरूद्ध प्रोन्नति हेतु उपलब्ध कनीय अभियंताओं को उनके वरीयता –सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी गई है। –झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली–2016 में कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्न 02 प्रावधान हैं :– 1. कुल स्वीकृत पद का 24% पद नियमित प्रोन्नति द्वारा वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर ऐसे कनीय अभियंताओं से भरा जाना है जिन्होंने 08 वर्षो की कालावधि पूरी कर ली हो। 2. कुल स्वीकृत पद का 16% पद झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभागीय सीमित परीक्षा से ऐसे कनीय अभियंताओं से भरा जाना है जिन्होंने 04 वर्षों की कालावधि पूरी कर ली हो। – उपरोक्त कंडिका–01 के संदर्भ में विदित हो कि दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 2016 के आलोक में प्रोन्नति हेतु कर्णांकित 203 पदों का रोस्टर स्वच्छता कार्मिक विभाग से निम्न रूप में प्राप्त है :–

	कुल	अनारक्षित	अनु. ज. जाति	अनु. जाति
कुल पदों की आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता	203	130	53	20
आरक्षण कोटिवार कार्यरत पदों का वर्गीकरण	150	103	27	20
कुल रिक्ति का आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण	53	27	26	00

उक्त रोस्टर स्वच्छता से यह स्पष्ट है कि प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जन–जाति कोटि के कर्णांकित 53 पदों में से 27 पदों पर प्रोन्नत अभियंता कार्यरत हैं एवं 26 पद प्रोन्नति हेतु रिक्त हैं। जबकि अनुसूचित जाति कोटि के कर्णांकित 20 पदों के विरूद्ध 20 प्रोन्नत अभियंता कार्यरत हैं, अतः इस कोटि अन्तर्गत कोई भी पद प्रोन्नति हेतु रिक्त नहीं है।

उक्त प्रोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। संभवतः आगामी 03 से 04 माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

– उपरोक्त कंडिका–02 के संदर्भ में विदित हो कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कर्णांकित 135 पदों की विवरणी निम्नवत् है :–

	कुल	अनारक्षित	अनु. ज. जाति	अनु. जाति
कुल पदों की आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता	135	86	35	14
आरक्षण कोटिवार कार्यरत पदों का वर्गीकरण	00	00	00	00
कुल रिक्ति का आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण	135	86	35	14

– उक्त रिक्त पदों को भरने के निमित विभागीय पत्रांक–1585 दिनांक 16.03.2021 द्वारा पथ निर्माण विभाग से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–06 / जल0सं0वि0–10–अ0सू0–12 / 2021 1665 / राँची, दिनांक :– 16/3/21

प्रतिलिपि:–

(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–1292 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–06, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

241

श्री दूलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–52 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 17 जिलों में तेजस्विनी परियोजना झारखण्ड महिला विकास समिति के माध्यम से समाज के महिलाओं एवं किशोरियों को सशक्त करने का महत्वकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड महिला विकास समिति द्वारा इस योजना का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कराने में काफी शिथिलता बरती जा रही है तथा योजना को सफल बनाने में लगे कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।	योजना का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विश्व बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत नियमों का अनुपालन किया जाता है। योजना के संबंध में कार्यरत कर्मियों द्वारा किसी भी तरह की परेशानी की सूचना/आवेदन अप्राप्त है।
3.	क्या यह बात सही है कि तेजस्विनी परियोजना सुदूर क्षेत्र में फैला हुआ है और 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्मियों को यात्रा भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि, मातृत्व अवकाश आदि नहीं दी जा रही है और ना ही कोई नियमावली बनाया गया है एवं कर्मियों को मानदेय का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है।	तेजस्विनी परियोजना अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान माह दिसम्बर, 2020 तक कर दिया गया है। रामगढ़ एवं दुमका जिले में परियोजना अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय का भुगतान माह फरवरी, 2020 तक किया गया है। रामगढ़ एवं दुमका जिले में कार्यरत कर्मियों का संविदा नवीकरण में विलम्ब हुआ। उक्त दोनों जिलों के कर्मियों का वेतन/मानदेय विपत्र प्राप्त है। भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस महत्वकांक्षी योजना को सफल बनाने में लगे कर्मियों के हित में नियमावली बनाते हुए इस परियोजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	योजना को सफल बनाने में कार्यरत कर्मियों के हित में अंतरिम नियमावली बनाया गया है और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। विस्तृत नियमावली बनाने हेतु बाह्य अभिकरण को सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध बाह्य अभिकरण से विस्तृत नियमावली का प्रारुप प्राप्त है और नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/मा०स०/विधान सभा – 90/2021– 581 राँची, दिनांक :17/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1219/वि0स0, दिनांक–11.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(२५५२)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–55 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बिजली बिल में गड़बड़ी का मुख्य कारण प्रत्येक महीने मीटर रीडिंग नहीं होना है;	अस्वीकारात्मक है। मीटर रीडिंग नहीं होना, बिजली बिल में गड़बड़ी का कारण नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि मीटर रीडिंग का कार्य ऊर्जा मित्र के द्वारा किया जा रहा है जिनके कार्यशैली से इन दिनों उपभोक्ता परेशान हैं;	मीटर रीडिंग का कार्य बिलिंग एजेंसी द्वारा चयनित ऊर्जा मित्रों द्वारा किया जाता है। किसी ऊर्जा मित्र के कार्यशैली से संबंधित शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी/ एजेंसी द्वारा ऊर्जा मित्र पर कार्रवाई की जाती है।
3. क्या यह बात सही है कि जिन उपभोक्ताओं का मीटर चालू अवस्था में है, उसे भी खराब घोषित कर नया मीटर लगाने का निर्देश दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक है।
4. क्या यह बात सही है कि उपभोक्ता अगर पूर्व में बिल का भुगतान भी कर देते हैं तो उनका समायोजन भी नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक है। उपभोक्ता अगर विपत्र राशि का भुगतान करते है, तो उसका समायोजन कर दिया जाता है, परंतु कभी-कभी सर्वर (server) की समस्या के कारण भुगतान की गई राशि का समायोजन तत्काल नहीं हो पाता है। यद्यपि इस तरह के मामले यदा-कदा ही होते है जिसे यथाशीघ्र ठीक कर दिया जाता है।
5. क्या यह बात सही है कि उपभोक्ताओं का बिल तैयार करते हुए प्रीमिसेस लॉक चिन्हित कर बिल भेजा जा रहा है जिससे राज्य के कई जिलों में अनियमित मीटर रीडिंग के कारण उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बिजली बिल का बोझ पड़ता है;	अस्वीकारात्मक है। उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण करते समय परिसर बंद रहने पर ही प्रीमिसेस लॉक पर बिलिंग करने का निदेश है, पुनः जब मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्रीकरण किया जाता है, तब प्रीमिसेस लॉक अवधि में किये गये औसत यूनिट का समायोजन करके ही विपत्र बनाया जाता है।
6. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मीटर रीडिंग से संबंधित समस्याओं को दूर करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 650 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 17/3/21
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(243)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 47 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><td>प्रश्नकर्त्ता
श्री बसंत सोरेन,
स०वि०स०</td><td>उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि, जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्रदान करने हेतु उपयोग की जानेवाली ई० पॉश मशीन को सरकार द्वारा क्रय न कर भाड़े पर ली गई है, जिसका मासिक किराया प्रति मशीन 1400/– रूपये महीना निर्धारित है, अर्थात 16,800/– रूपये प्रति मशीन प्रति वर्ष देय है;</td><td>वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित ई–पॉश मशीन हेतु रूपये 1,350 + 243 (18%GST) = रूपये 1,593 प्रति ई–पॉश मशीन प्रतिमाह भाड़े पर व्यय किया जाता है, अर्थात् रूपये 19,116/– प्रति मशीन प्रति वर्ष व्यय किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त ई० पॉश मशीन की कीमत लगभग 25,000/– रूपये है। इस प्रकार के ई० पॉश मशीन को भाड़े पर लेने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है;</td><td>वर्तमान पद्धति के अनुरूप माह अगस्त 2021 तक ई–पॉश हेतु किराया का भुगतान किया जाना है। तत्पश्चात ई–पॉश का स्वामित्व विभाग को प्राप्त हो जायेगा। इसके पश्चात सिर्फ Operational Cost यथा Annual Maintenance Cost, SIM Charge एवं Man Power पर विभाग द्वारा खर्च किया जायेगा।

इस प्रकार माह अगस्त, 2021 से प्रति ई–पॉस मासिक Operational cost लगभग रूपये 600/– प्रतिमाह दिया जायेगा अर्थात् रूपये 7200/– प्रति वर्ष देय होगा।

<u>अगर तत्काल ई–पॉश का क्रय किया जाय तो रूपये 71 करोड़ की राशि के साथ Operational Cost भी वहन करना पड़ेगा।</u>

वर्तमान में मासिक किराए पर ई–पॉश लेने पर आने वाले मासिक व्यय की राज्यवार तुलनात्मक विवरणी निम्नवत् है :–
<table><tr><td>तेलंगाना</td><td>रूपये 1,650 + टैक्स</td></tr><tr><td>मध्य प्रदेश</td><td>रूपये 1,254 + टैक्स</td></tr><tr><td>पंजाब</td><td>रूपये 1,275 + टैक्स</td></tr><tr><td>सिक्किम</td><td>रूपये 1,[illegible] + टैक्स</td></tr><tr><td>बिहार</td><td>रूपये 1,405 + टैक्स</td></tr><tr><td>झारखण्ड</td><td>रूपये 1,350 + टैक्स</td></tr></table>
विदित हो कि यह मॉडल सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसे दिनांक 07 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के माननीय खाद्य मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा के उपरांत मध्य प्रदेश का निविदा प्रारूप भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। उसी क्रम में लगभग सभी राज्यों में इसी मॉडल को अपनाया गया है।</td></tr>
<tr><td>(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ई० पॉश मशीन को क्रय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

16/03/2021

(लालो प्रसाद कुशवाहा),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प०– 04 (वि०स०अ०सू०प्रश्न) 16/2021 905 /राँची, दिनांक 16/03/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1106, दिनांक 08.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-42 का प्रश्नोत्तर। 211

प्रश्नकर्ता-श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संविदा पर नियुक्त कर्मी जो मूलरुप से उप परियोजना निदेशक आत्मा, जिला-पलामू को निदेशक "आत्मा" जिला रामगढ़ का कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्य करने का आदेश दिया गया है;	स्वीकारात्मक। रामगढ़ जिला में जिला/अनुमण्डल स्तरीय कृषि पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में परियोजना निदेशक, आत्मा, रामगढ़ के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार, उप परियोजना निदेशक, आत्मा, पलामू, जो समेति मुख्यालय में प्रतिनियुक्त थे, को तत्कालिक व्यवस्था के तहत् कार्यहित में दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि नियुक्त संविदाकर्मियों को उच्चतर पद पर पदस्थापित करने से पूर्व तथा एक जिला से दूसरे जिला में स्थानांतरित करने का आदेश राज्य सरकार से नहीं लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०-2427 दिनांक-11.08.2014 की कंडिका-10 में उल्लेखित है कि उप परियोजना निदेशक (आत्मा) के पद हेतु नियुक्ति पदाधिकारी-निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गलत ढंग से उच्चतर पद पर नियम विरुद्ध कार्य करने वाले संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति कंडिका-1 में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(अ०सू०)-14/2021 532 /कृ०, राँची, दिनांक-16-03-2021

प्रतिलिपिः- श्री शैलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-942 दिनांक-04.03.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०वि०स०(अ०सू०)-14/2021 532 /कृ०, राँची, दिनांक-16-03-2021

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

सरकार के अवर सचिव।

245

माननीय स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–20 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के प्रखण्ड खरौंधी अंतर्गत डोमनी बराज नदी पर बनने वाले बराज को लेकर विशेष भू–अर्जन विभाग ने रैयतों को मुआवजा देने के लिए 10 करोड़ राशि निर्गत किया गया था, जिसे साईबर अपराधियों द्वारा निकासी कर लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक उच्च स्तरीय जाँच समिति बनाकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला प्रशासन के स्तर से कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कर्मी की गिरफ्तारी कर मामले का अनुसंधान उनके स्तर से किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1052 राँची, दिनांक–16/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–709, दिनांक–28.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक –18.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–29 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि Targeting the Hardcore Poor (THP) के तहत संथाल परगना के 5000 PVTG परिवारों को गरीबी की जटिलता से बाहर निकालने का कार्य योजना लक्षित है .	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत 2.15 लाख जनजातीय परिवारों का भी सशक्तिकरण एवं आजीविका सम्बर्धन का लक्ष्य रखा गया है .	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उक्त परियोजना के अन्तर्गत 2.11 लाख जनजातीय परिवारों का सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन का लक्ष्य है।
3.	क्या यह बात सही है, कि यह योजना प्रभावकारी एवं पारदर्शी तरीके से लागू न होने के कारण आजतक PVTG परिवार एवं जनजातीय परिवार गरीबी की समस्या जूझ रहा है .	अस्वीकारात्मक। THP- Targetting the Hardcore Poor परियोजना, झारखण्ड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना (JTELP) के साथ समन्वित करते हुए संथाल परगना के दुमका, गोड्डा, साहेबगंज एवं पाकुड़ जिले में JTDS द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत 5000 अति कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के परिवार को गरीबी की जटिलताओं से बाहर निकालने का लक्ष्य है जिसके तहत इन परिवारों की प्राथमिकता / आवश्यकता / सहुलियत के आधार पर कृषि / गैर कृषि / मिश्रित परिसम्पत्तियों का वितरण एवं इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत कृषि आधारित गतिविधियों, गैर कृषि गतिविधियों तथा मिश्रित गतिविधियों के माध्यम से लाभुक परिवारों को गरीबी की जटिलताओं से बाहर निकालने का कार्य प्रगति पर है। उक्त परियोजना का अनुश्रवण IFAD वित्त पोषित झारखण्ड आदिवासी सशक्तीकरण एवं आजीविका परियोजना अन्तर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोई ठोस पहल कर एवं प्रभावी अनुश्रवण कर उक्त योजनाओं का लाभ देने पर विचार करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 808 रांची, दिनांक– 17.03.2021

प्रतिलिपि– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०–773, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/03/2021

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।